# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

## :: निविदा आमंत्रण सूचना ::

प्रशासन/120–ए(पार्ट)/ 920　　　　　　　　　　इन्दौर, दिनांक 19/04/2017

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में वित्तीय वर्ष **2017–18** के लिए वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु प्रायवेट एजेंसीस/फर्म/उम्मीदवार से प्रस्ताव आमंत्रित है। वाहन स्टैण्ड संचालक, इस निविदा के प्रकाशन के दिनांक से दिनांक **26/04/2017** की शाम **4:30** बजे तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के केश अनुभाग से अप्रतिदेय (नॉन रिफंडेबल) आवेदन शुल्क रूपये **100/–** (सौ रूपये मात्र) जमा कर अनुबंध की शर्तें एवं आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र दिनांक **02/05/2017** की दोपहर **01:30** बजे तक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निविदा उक्त दिनांक को ही सांयकाल **4:00** बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्तों की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.in पर भी देखी जा सकती है।

हस्ता/–
(देवेन्द्र सिंह सोलंकी)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
म.प्र. उच्च न्यायालय
खण्डपीठ इन्दौर

# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर (म.प्र.)

## :: वाहन स्टैण्ड संचालन की सामान्य शर्तें ::

(1) निविदा सीलबंद लिफाफे में निर्धारित समय में प्राप्त होना चाहिए।
(2) वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें:–

| क्रं. | वाहन | दर प्रतिदिन रूपये | दर प्रतिमाह रूपये |
|---|---|---|---|
| 1 | साईकिल | 2/– | 40/– |
| 2 | मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड दो पहिया वाहन | 5/– | 100/– |
| 3 | तीन पहिया वाहन/चार पहिया वाहन | 10/– | 200/– |

(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्यों एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सुरक्षा मे लगे अधिकारी/कर्मचारियों से कोई वाहन शुल्क वसूलनीय नही होगा, उनके लिए पास ज़ारी करने की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।
(4) अर्नेस्ट मनी डिपाज़िट (EMD) रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के नाम से निविदा के साथ जमा करना होगा।
(5) दिनांक **02/05/2017** को दोपहर **01:30** बजे तक रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करने पर ही अंतिम रूप से निविदा मान्य की जाकर वाहन स्टैण्ड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने को अनुबंध की शेष राशि **3** दिन में जमा कर वाहन स्टैण्ड संचालन की अनुमति दी जावेगी।
(6) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध गृहीता की होगी।
(7) दिनांक **02/05/2017** तक अधिकतम अधिमान्य निविदा दाता के द्वारा शेष वार्षिक अनुबंध की राशि अदा न करने अर्नेस्ट मनी शासनहित में राजसात कर द्वितीय अधिकतम दर से संबंधित निविदा दाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
(8) अर्नेस्ट मनी रूपये **10,000/–** (दस हजार रूपये) की **5** गुना राशि रूपये **50,000/–** (पचास हजार रूपये) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।
(9) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।
(10) प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
(11) वार्षिक अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

हस्ता/–
**(देवेन्द्र सिंह सोलंकी)**
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
म.प्र. उच्च न्यायालय
खण्डपीठ इन्दौर